



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092025-266214
CG-DL-E-17092025-266214

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4095]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947

No. 4095]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 57/2025 – सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 4212(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 62/1994-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवंबर, 1994, जिसे का. आ. 829 (अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र से सम्बंधित क्रम संख्या 7 के समक्ष, शब्दों, अक्षरों और कोष्ठक "मिनिकोय द्वीप" के स्थान पर "(1) मिनिकोय द्वीप" पढ़ा जाए।

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र से सम्बंधित क्रम संख्या 7क के समक्ष, कॉलम (3) और (4) में, कॉलम (3) में मद (1) और कॉलम (4) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों के अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)
		“(2) अगाती द्वीप	यात्री सामान की उतराई और यात्री सामान की लदाई।”

[फा. सं. सीबीआईसी-52/4/2025]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 62/94-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवंबर, 1994 को का.आ. 829(अ), 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 81/2024-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 14 नवंबर, 2024 का.आ. 4932(अ), दिनांक 14 नवंबर, 2024 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 57/2025 – Customs (N.T.)

S.O. 4212(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of the section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the Notification No. 62/1994-Customs (N.T.) dated the 21st November, 1994 of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 829 (E), dated the 21st November, 1994, namely:-

In the said notification in the Table, against serial number 7A relating to the Union Territory of Lakshadweep, *for* the words, letters and bracket, “Minicoy Islands” *read*, “(1) Minicoy Islands”.

In the said notification in the Table, against serial number 7A relating to the Union Territory of Lakshadweep, in column (3) and (4), after item (1) in column (3) and the entries relating thereto in column (4), the following item and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
		“(2) Agatti Island	Unloading of baggage and the loading of baggage”

[F. No. CBIC-52/4/2025]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

Note:- The principal notification No.62/94-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 829(E), dated the 21st November, 1994 and was last amended by notification number 81/2024-Customs (N.T.) dated the 14th November, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4932(E), dated the 14th November, 2024.